क्र० सं०	परियोजना का नाम	योजना जिसमें शुरू की गई	अनुमानित लागत	नवीनतम अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	लागत में वृद्धि
9.	उंद (जोधपुर)	V	3.97	38.37	34.50
10.	भादर (पीएमएस)	पांचवीं	13.11	47.93	34.82
11	झाटक	पांचवीं	6.70	25.23	18.45
12.	केलिया	पांचवीं	2.84	21.01	18.17
13	गुहाई	पांचवीं	9.13	71.53	62.40
14	झनक-II	पांचवीं	3.49	8.20	4.71
15	मानी	पांचवीं	1.82	12.20	10.38
16.	अमिपुर	पांचवीं	2.79	9.62	6.83
17	डमरिया	पांचवीं	2.82	6.73	3.91
18	आजी-III	वार्षिक योजना 79-80	13.23	28.54	15.31
19	झूक	वार्षिक योजना 79-80	5.36	41.42	36.06
20	मुक्तेश्वर	छठी	5.37	22.80	17.43
विस्तार / नवीकरण / आधुनिकीकरण:					
1	खारीकुट आधुनिकीकरण	छठी	8.10	8.81	0.71
2	पत्तेहवाड़ी आधुनिकीकरण	छठी	24.76	40.56	15.80
3.	दतियावाड़ा आधुनिकीकरण	छठी	34.88	45.70	10.82
4.	शतरुंजी आधुनिकीकरण	छठी	26.68	40.65	13.97
5	भादर आधुनिकीकरण	छठी	18.60	24.05	5.45
6	उकई बकरापर आधुनिकीकरण	छठी	60.12	60.12	—

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजातियों के मेधावी छात्रों के लिए विद्यालय

7557. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से संबद्ध विशिष्ट विद्यार्थियों में प्रतिभा को विकसित करने के लिए कितने विशिष्ट विद्यालय कहां-कहां खोले गए हैं;

(ख) इन विशिष्ट विद्यालयों के भवन परिसर निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप किन-किन स्थानों पर निर्मित नहीं किए जा सके हैं तथा उसके क्या कारण हैं;

(ग) इनमें से किन विशिष्ट विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु निर्धारित आवश्यक राशि में सरकारी भूमि दस वर्षों से अधिक समय से उपलब्ध होने के बावजूद विद्यालय भवन परिसरों का निर्माण नहीं हो पाया है; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार इन विशिष्ट विद्यालयों के निर्माण हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता देती रही है और यदि हां, तो इन भवनों के निर्माण हेतु दी गई सहायता तथा इस संबंध में लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) अनुसूचित जनजातियों के विशेष मेधावी छात्रों में शैक्षिक विकास के लिए मध्य प्रदेश में 15 विशेष विद्यालय खोले गए हैं। इन विद्यालयों की अवस्थिति से सम्बन्धित ब्यौरा संलग्न है। (नीचे देखिए)

(ख) 15 विद्यालयों में से 11 विद्यालयों के भवन परिसरों का निर्माण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप किया गया है। अन्य तीन विद्यालयों

के भवन परिसरों के निर्माण को 1994-95 में मंजूरी दी गई है और 1995-96 के दौरान तवानगर जिला, होशंगाबाद में ऐसे ही एक विद्यालय के निर्माण का प्रस्ताव है।

(ग) कोई नहीं।

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के मेधावी बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों के निर्माणार्थ कल्याण मंत्रालय की कोई विशेष योजना नहीं है। तथापि, विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता और आदिवासी उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अधीन दिशानिर्देशों के अंतर्गत आर्थिक विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त अवसंरचनात्मक विकास, आवासीय विद्यालयों इत्यादि की स्थापना शामिल है।

विवरण

क्रम सं॰	विद्यालय का नाम और अवस्थिति	
1.	कन्या शिक्षा परिसर	चौकी, जिला राजनन्दगांव
2.	"	छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा
3.	"	जगदलपुर, जिला बस्तर
4.	"	अम्बिकापुर, जिला सरगुजा
5.	"	पुष्पराजगढ़, जिला साहडोल
6.	"	कुक्षी, जिला धार
7.	गुरुकुल विद्यालय,	पेन्ड्रा रोड, जिला बिलासपुर
8.	आदर्श हायर सेकण्डरी स्कूल	डोंडी, जिला बिलासपुर
9.	"	चुरहट, जिला सीधी
10.	"	फरसगांव, जिला बस्तर
11.	"	जसपुरनगर, जिला रायगढ़
12.	"	सिंग्रोरा, जिला मण्डला
13.	"	बड्डानी, जिला खरगांव
14.	"	सैलाना, जिला रतलाम
15.	"	तवानगर, जिला होशंगाबाद

Allotment of land under 'Bhoomi Putra Yojana'

7558. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will be Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) what is the nunmbcr of landless families among Pahari Korva and Birhora tribes of Madhya Pradesh, who are on the verge of extinction as per the position available till July, 1994;

(b) what is the number of such families amongst them that have since been provided, with agricultural land under "Bhoomi Putra Yojana" alongwith the number of families who are likely to be provided with such land during the year 1994-95 and 1995-96;

(c) what is the total area of land belonging to the family of Chief of Pahari Korva tribe late Uchit Narayan Singh, which has been grabbed fraudulently by some persons together with the action being taken by Government for getting the said land restored to that family;

(d) what is the total area of the forest land taken possession of by Pahari Korva and Birhora families pending settlement/ regularisation; and

(e) what are the details of the agricultural land given on leese to certain families of these tribes under the earlier settlement/regularisation of forest land?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) to (e) The information is being collected from the State Govemment of Madhya Pradesh and the same, of its receipt, win be laid on the Table of the House.

स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दिया जाना

7559. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में कल्याणकारी क्रियाकलापों के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों से गत तीन वर्ष के दौरान वर्ष-वार तथा चालू